संख्या– 1598/सत्तर–3–2021–स्था0(01)/2016

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2021

विषयः– प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–सं0नि0(उ0शि0)/एकलस्था0/185/2021–22 दिनांक 13–07–2021 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली–2005 यथा संशोधित–2006 एवं आरक्षण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश (100 प्वाइंट रोस्टर) दिनांक 19.03.2021 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचार करते हुए अधोतालिका के स्तम्भ–2 में अंकित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसर को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–04 में अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 सुमित्रा मौर्या एसो0प्रो0–रसायन विभाग, ब्रह्मानन्द कालेज, कानपुर।	रसायन विभाग	जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ।

2– उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की स्थिति में एकल स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्याः– 1598 (1)/सत्तर–3–2021– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
(2) कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(3) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18–ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज।
(4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
(5) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(6) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(नन्दलाल यादव)
अनु सचिव।